निग /2955/II/15 (164)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा, म0प्र0

निगरानी प्र0क्र0/ /015

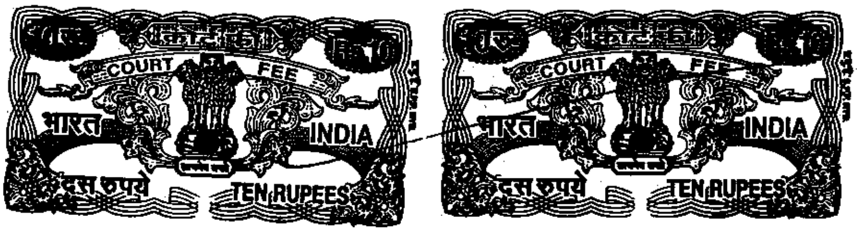

328 / 18.8.15

Rs. 201

जगदीश वैसवार तनय रामजियावन वैसवार निवासी ग्राम चौगनहा तह0 रामपुर नैकिन [redacted] जिला सीधी, म0प्र0 -----निगराकार

बनाम

[redacted] गेंदलाल तनय ववन वैसवार ॥ मृत॥ द्वारा वारिसान -

01- अनिल वैस पिता गेंदलाल वैस

02- प्रेमा वैस पत्नी गेंदलाल वैस

03- वावी वैस ॥

04- संजय वैस ॥ - सभी पुत्रियां स्व0 गेंदलाल वैस

05- अंजू वैस ॥

सभी निवासीगण ग्राम चौगनहा, तह0 रामपुर नैकिन [redacted] जिला सीधी, म0प्र0

06- शासन म0प्र0 ----- गैर निगराकारगण

निगरानी विरुद्ध [redacted] आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल हनुमानगढ राजस्व निरीक्षक प्र0क्र0 69/अ-12/14-15 तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी [redacted] के दिनांक 05.07.015 कोपारितकिया गया ।

निगरानी अंतर्गत धारा50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मनोज तिवारी 18.8.15 द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2955–दो/15 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री मनोज तिवारी द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ़ जिला सीधी के प्रकरण कमांक 69/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.7.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में संलग्न स्थल पंचनामा में ग्राम चौगनहां की आराजी कमांक 68/1 रकवा 0.090 है0 व 70/1 रकवा 0.060 है0 किता 2 का सीमांकन कार्य किया गया जिस पर जगदीश वैसवार तनय रामजियावन के हस्ताक्षर अंकित है । अतः राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ़ जिला सीधी के प्रकरण कमांक 69/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5.7.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने	

से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य